		तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022	
		एक बिल	
	1.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 में संशोधन हेतु।	
	2.	भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-	
	3.	इस अधिनियम को तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकता है।	**संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**
	4.	यह उस तारीख को लागू होगा जो केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और इसके विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां नियत की जा सकती हैं और इस अधिनियम के प्रारंभ के लिए ऐसे किसी प्रावधान में किसी भी संदर्भ को उस प्रावधान के लागू होने के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।	
	5.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) केः-	
परिभाषाएं	I	मूल अधिनियम की धारा 2 में, (1) खंड के बाद, (क) निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्- (ख) "एक्वाकल्चर इनपुट" का अर्थ है बीज, कीटनाशक, उर्वरक, चारा, वृद्धि की खुराक और रसायनों/दवाओं का उपयोग जो तटीय जलकृषि में जल निकायों और पाले गए जीवों या उनमें उपलब्ध अन्य जलीय जीवन के रखरखाव के लिए इनपुट के रूप में किया जाता है। (ग) "एक्वा मैपिंग" का अर्थ है कंप्यूटर जनित और अंततः, विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा की गई, तटीय क्षेत्र संबंधी मानचित्र जो तटीय जलकृषि के लिए संभावित और उपयुक्त क्षेत्रों को दर्शाते हैं। (घ) "एक्वा जोनेशन" का अर्थ है संबंधित राज्य सरकार या इस प्राधिकरण द्वारा स्थायी तटीय-जलकृषि के लिए विभिन्न प्रजातियों	**धारा 2 का संशोधन**

		या तटीय जलकृषि के विधियों के लिए घोषित स्थानिक योजना के क्षेत्र। (ङ) "जैव-सुरक्षा" का अर्थ तटीय जलकृषि गतिविधि के भीतर हानिकारक जीवों जैसे (वायरस, बैक्टीरिया) आदि के संपर्क या प्रसार को रोकने के लिए और संक्रामक, रोग के संचरण के जोखिम को कम करने के लिए प्रासंगिक जोखिमों का विश्लेषण और प्रबंधन करने के लिए, इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए किसी भी उपाए या रणनीतिक और एकीकृत दृष्टिकोण से है (च) "जैव सुरक्षित सुविधा" का अर्थ तटीय जलीयकृषि गतिविधि है जिसने रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए जैव सुरक्षा उपायों को अपनाया है जैसा कि इस तरह की गतिविधि के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित किया जा सकता है। (छ) "खारा पानी" का अर्थ वह पानी है जो मुहाना क्षेत्र में है और ताजे पानी की तुलना में खारा है, लेकिन समुद्री जल जितना खारा नहीं है, जो 5 पीपीटी से अधिक या समय-समय पर निर्धारित लवणता वाला पानी है (ज) "ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर (बीएमसी)" का अर्थ ऐसी तटीय जलकृषि गतिविधि है जो न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (एनबीएस) से विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एसपीएफ) पोस्ट लार्वा (पीएल) प्राप्त करती है और हैचरी को आपूर्ति के लिए पोस्ट लार्वा से वयस्क ब्रूड स्टॉक तक पोषण करती है। बीएमसी सख्त जैव सुरक्षा और करीबी रोग निगरानी के तहत, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, पोस्ट लार्वा से वयस्क तक ब्रूड स्टॉक विकसित करने की सुविधा है।	

		(2) खंड (ख) (ग) और (घ) को क्रमशःखंड (झ) (ञ) और (ट) के रूप में पुन: क्रमांकित किया जाएगा (3) खंड (घ) के बाद, इस प्रकार पुन: क्रमांकित, निम्नलिखित खंड होंगे: अर्थात्, - (ठ) "तटीय पर्यावरण" का अर्थ है तटीय क्षेत्र में भूमि का क्षेत्र जिसमें जीवित जीवों की पूरी प्रणाली और तटीय क्षेत्र के भीतर भौतिक परिवेश शामिल है जैसा कि इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है; (ड) "तटीय जलकृषि" या "तटीय जलकृषि गतिविधि" का अर्थ है झींगा, श्रिम्प, मछली के किसी भी जीवन स्तर के तटीय क्षेत्रों में, सीमेंट के टैंकों, तालाबों, कलमों, बाड़ों या अन्यथा में नियन्त्रित परिस्थितियों में पालन और खेती, या तो घर के अंदर या बाहर या लवणीय या खारे पानी में कोई अन्य जलीय जीवन, लेकिन इसमें मीठे पानी की जलकृषि शामिल नहीं है और इसका मतलब ब्रूड स्टॉक, बीज, ग्रो आउट आदि के उत्पादन जैसी गतिविधियों को भी शामिल करना होगा। (ढ) "तटीय जलकृषि सुविधा" का अर्थ किसी ऐसी सुविधा से है जो तटीय जलकृषि और या संबद्ध गतिविधियों में लगी हो और इसके साथ जुड़ा हुआ है; ण) "फार्म" का अर्थ एक जलकृषि फार्म है जहां, तालाबों, बाड़ों, बाड़ों या अन्यथा, तटीय क्षेत्रों में, झींगा, श्रिम्प, मछली या किसी अन्य जलीय जीवन के लवणीय या खारे पानी में खेती की जाती है, लेकिन मीठे पानी की जलकृषि इसमें शामिल नहीं है; त) "ताजे पानी" का अर्थ है 5 पीपीटी से कम या समय-समय पर निर्धारित लवणता वाला पानी; थ) "हैचरी" का अर्थ किसी भी तटीय जलकृषि गतिविधि से है जो खारे या	

		लवणीय पानी में शेलफीश, क्रस्टेशियंस, मोलस्क और किसी भी अन्य जलीय जीवन सहित मछली के बीज का उत्पादन करती है, लेकिन इसमें मीठे पानी की जलकृषि शामिल नहीं है; द) "सदस्य" का अर्थ है इस प्राधिकरण का सदस्य और इसमें अध्यक्ष शामिल हैं; ध) "न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (एनबीसी)" का अर्थ है ऐसे जैव सुरक्षित तटीय जलकृषि गतिविधि है जिसमें घरेलू विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त(एसपीएफ़) ब्रूड स्टॉक के उत्पादन में लगे रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से एक स्थापित स्वतंत्रता प्राप्त करना। न) "ऑपरेटर" का अर्थ किसी भी व्यक्ति या फर्म से है जो तटीय जलकृषि गतिविधि के संचालन में लगा हुआ है। प) किसी भी तटीय जलकृषि गतिविधि के संबंध में "मालिक" में शामिल है, क) मालिक का कोई एजेंट; तथा ख) गिरवीदार, पट्टेदार या अन्य व्यक्ति जिसके पास तटीय जलकृषि गतिविधि है; फ) “औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थ" का अर्थ है चिकित्सीय/औषधीय मूल्य वाला कोई भी पदार्थ। ब) "लवणीय पानी" या "खारा पानी" का मतलब 5 पीपीटी से अधिक या समय-समय पर निर्धारित लवणता वाला पानी है; भ) "विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त (एसपीएफ़)" का अर्थ है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) द्वारा सूचीबद्ध रोगजनकों या बीमारियों और सक्षम प्राधिकारी या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सूचीबद्ध किसी अन्य रोगजनक या बीमारियों से मुक्ति, जो उस उम्मीदार प्रणाली के लिए निर्दिष्ट है जिसका उपयोग तटीय जलकृषि में किया जाता है; इसमें जलीय जीव शामिल हैं जो निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते	

		हुए और जैव सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए चयनित रोगजनकों से मुक्त और पाले जाते हैं। म) "राज्य सरकार" का अर्थ है तटीय स्थान वाले राज्य सरकार केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन है;	
प्राधिकरण की स्थापना और अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति	II	मूल अधिनियम की धारा 4 मेः- क) उप-धारा (2) में- "प्रधान कार्यालय" शब्दों के बाद, "और अधीनस्थ कार्यालय" शब्द जोड़े जाएंगे। ख) उप-धारा (3) में- खण्ड (ग) में "महासागर विकास विभाग" अभिव्यक्ति के लिए, "पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय" अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाएगा। ग) उप-खंड (3) में- अभिव्यक्ति के लिए खंड (घ) में "पर्यावरण और वन मंत्रालय" , "अभिव्यव्यक्ति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" को प्रतिस्थापित किया जाएगा। घ) उप-धारा (3) में- खंड (ङ) में "कृषि मंत्रालय" अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति "कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय" को प्रतिस्थापित किया जाएगा। ङ) उप-धारा (3) में- खंड (च) में "अभिव्यक्ति वाणिज्य मंत्रालय" के लिए अभिव्यक्ति "वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय" को प्रतिस्थापित किया जाएगा। च) उप-धारा(3) में -खंड (ज) के बाद निम्नलिखित खंड डाला जाएगाः- (i) "प्रशासनिक मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य अर्थात् केंद्र सरकार का मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय;"	**धारा 4 का संशोधन**
प्राधिकरण की बैठकें	III	मूल अधिनिय की धारा 7 की उप- धारा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्- (2) "यदि अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं, तो इस संबंध में अध्यक्ष	**धारा 7 का प्रतिस्थापन**

		द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य और, ऐसे नामांकन की अनुपस्थिति में या जहां कोई अध्यक्ष नहीं है, वहां से उपस्थित सदस्यों द्वारा आपस में चुना गया कोई सदस्य ही बैठक की अध्यक्षता करेंगे"।	
नया खंड **प्राधिकरण की समितियां**	IV	मूल अधिनियम की धारा 7 के बाद निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी अर्थातः- "7क प्राधिकरण की समितियां-(1) प्राधिकरण ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन और अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हों। 2) प्राधिकरण को उप-धारा (1) के तहत नियुक्त किसी भी समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित करने की शक्ति होगी, ऐसे अन्य व्यक्ति जो प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं, जैसा कि वह ठीक समझे"।	**धारा 7क की प्रविष्टि**
अधिकारियों/परामर्शदाताओं तथा प्राधिकरण के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति	V	मूल अधिनियम की धारा 9 में क) निम्नलिखित उप-धाराएं डाली जाएंगी, अर्थात्- 1) प्राधिकरण के सदस्य सचिव, जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के नीचे का न हो। ख) उप-धारा (1) और उप-धारा (2) को उप-धारा (2) और उप-धारा (3) रूप में फिर से क्रमांकित किया जाएगा।	**धारा 9 का संशोधन**
नया खंड **"सदस्य सचिव के कार्य"**	VI	मूल अधिनियम की धारा 9 के बाद निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी अर्थातः "9 क सदस्य सचिव के कार्यः (1) सदस्य सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और तटीय जलकृषि प्राधिकरण के कानूनी प्रतिनिधि होंगे और इसके लिए जिम्मेदार होंगेः (क) प्राधिकरण का दिन-प्रतिदिन का प्रशासन; (ख) प्राधिकरण के परामर्श से प्राधिकरण के कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करना; (ग) प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए कार्यक्रमों और निर्णयों को लागू करना;	**धारा 9 क की प्रविष्टि**

		(घ) यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकरण अपने कार्यों को अपने उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करता है, विशेष रूप से प्रदान गई सेवाओं की प्रर्याप्तता और लगने वाले समय के संबंध में; (ङ) राजस्व और व्यय का वितरण तैयार करना और प्राधिकरण के बजट का निष्पादन; तथा (च) केंद्र सरकार के साथ संपर्क विकसित करना और बनाए रखना और इसकी संबंधित समितियों के साथ नियमित बातचीत सुनिश्चित करना। (2) प्रत्येक वर्ष सदस्य सचिव अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा- क. पिछले वर्ष में प्राधिकरण की सभी गतिविधियों को शामिल करने वाली एक सामान्य रिपोर्टः ख. काम के कार्यक्रम ग. पिछले वर्ष के लिए वार्षिक खाते; तथा घ. आने वाले वर्ष के लिए बजट। (3) सदस्य सचिव, प्राधिकरण द्वारा अपनाए जाने के बाद, सामान्य रिपोर्ट और कार्यक्रमों को केंद्र सरकार को अग्रेषित करेगा और सामान्य रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। (4) सदस्य सचिव प्राधिकरण के सभी वित्तीय व्यय को मंजूरी देगा और प्राधिकरण की गतिविधियों पर केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करेगा। (5) सदस्य सचिव का प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण होगा।	
प्राधिकरण के कार्य	VII	मूल अधिनियम की धारा 11 मेः- (i) उपधारा (1) में, खंड (घ) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थातः- ङ. ऐसे क्षेत्र में किसी भी तटीय जलकृषि की संख्या, प्रजातियों और पद्धति को नियंत्रित करने के लिए, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तटीय जलकृषि के लिए जलीय क्षेत्र और मानचित्रण	**धारा 11 का संशोधन**

		सहित ऐसे कार्यक्रमों की योजना और निष्पादन के माध्यम निर्धारित किया जा सकता है; च. मानकों को तय या अपनाने के लिए, प्रमाणित, निगरानी, विनियमित या तटीय जलकृषि इनपुट जैसे बीज, फीड, विकास पूरक, प्रोबायोटिक्स थेरेप्पुटेंट्स और तटीय जलकृषि में उपयोग किए जाने वाले किसी भी अन्य इनपुट को प्रतिबंधित करने के लिए तटीय जलकृषि या तटीय पर्यावरण को होने वाले नुकसान की रोकथाम, नियंत्रण और उपरान्त के लिए निर्धारित किया जा सकता है। छ. किसी भी तटीय जलकृषि गतिविधि से उत्सर्जन या बहिःस्राव के निस्सरण के लिए मानक तय करना या अपनानाः- बशर्ते कि इस खंड के तहत विभिन्न तटीय जलकृषि गतिविधियों से उत्सर्जन या निर्वहन के लिए विभिन्न मानकों को ऐसे स्रोतों से उत्सर्जन या निर्वहन की गुणवत्ता या संरचना को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है; ज. तटीय जलकृषि से संबंधित मामलों के संबंध में सूचना का संग्रहण और प्रसार। (ii) खंड (ङ) खंड (i) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा। (iii) खंड (क), (ख), (ग),(घ) में अभिव्यक्ति “फार्म” को “गतिविधियों” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। (iv) उप-धारा (2) में, अभिव्यक्ति “फार्म” को “गतिविधि” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।	
तटीय जलीयकृषि के लिए पंजीकरण	Viii	मूल अधिनियम की धारा 13 में,- क) उप-धारा (3) में निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात; (क) ऐसी अवधि के लिए वैध होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है	**धारा 13 का संशोधन**

		(ख) समय-समय पर ऐसी अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है जो निर्धारित की जा सकती है; तथा (ग) इस तरह के रूप में होगा और ऐसी शर्तों के अधीन होगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। बशर्ते प्राधिकरण सरकार द्वारा आवंटित या सौंपी गई भूमि पर तटीय जलकृषि गतिविधि करने के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, ऐसी प्रक्रिया और अवधि के अधीन जो इस उप-धार के तहत निर्धारित अवधि से अधिक नहीं हो सकती है। ख) उप-धारा (8) में- निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात; “परंतु इस उपधारा की कोई बात न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर, ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर, समुद्री शैवाल कृषि और केज पालन गतिविधियों और ऐसी अन्य गतिविधियों के मामले में जो सरकार शर्त द्वारा अधिसूचित की जा सकती है, में लागू नहीं होगा। ग) उप-धारा (10) में- निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात; “बशर्ते कि प्राधिकरण नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में देरी को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए एक चक्रवृद्धि शुल्क के साथ, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, माफ कर सकता है” घ) उप-धारा (11) के बाद- निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात; “ (12) प्राधिकरण इस धारा के तहत जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र में बदलाव, संशोधन या संशोधन कर सकता है, जैसा की मामला हो, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। “(13) इस अधिनियम के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरूपित या विकृत या खो जाने की स्थिति में प्राधिकरण मूल प्रमाण पत्र के बदले में एक नया प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है”	

		ङ) उप-अनुभागों (1),(4),(5),(6),(8),(9),(10) और (11) में अभिव्यक्ति "फार्म" को "गतिविधि" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।	
नया खंड 'अधिकारियों का प्राधिकरण'	ix	मूल अधिनियम की धारा 13 के बाद निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्- "13 कः अधिकारियों का प्राधिकरण- (1) प्राधिकरण एक आदेश द्वारा अधिकृत करता हैः- क) जिले में "सहायक निदेशक मत्स्यपालन" के पद से नीचे का कोई भी अधिकारी या राज्य या केंद्र सरकार के समकक्ष रैंक के किसी अन्य अधिकारी को "अधिकृत अधिकारी" के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने और ऐसे कार्यों को करने के लिए आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है। (2) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अधिकृत करेगीः- क. प्राधिकरण या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी अधिकारी, जो "अवर सचिव" के पद से नीचे का अधिकारी नहीं है, "निर्णायक अधिकारी" के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और आदेश में निर्दिष्ट दंड लगाने वाले कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ख. अपीलीय प्राधिकारी के रूप में प्राधिकरण या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई अधिकारी जो किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा इस तरह के आदेश की पुष्टि, परिवर्तन या अपास्त कर सकता है।	**धारा 13 'क' की प्रविष्टि**
बिना पंजीकरण के तटीय जलकृषि करने पर दण्ड	X	मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात; "14. तटीय जलकृषि का उल्लंघन करने पर दण्ड अधिनियम- (1) यदि कोई व्यक्ति तटीय जलकृषि या पारंपरिक तटीय जलकृषि करता है या इस अधिनियम और नियमों या विनियमों या दिशानिर्देशों या किसी अधिसूचना के किसी प्रावधान के उल्लंघन में तटीय	**धारा 14 का प्रतिस्थापन**

		जलकृषि या पारंपरिक तटीय जलकृषि का संचालन करवाता है। इसके तहत, इसके लिए उत्तरदायी होगाः- क) ऐसी गतिविधि का निलंबन या ठहराव ख) संलग्न तालिका में उल्लेख किए गए के अनुसार इस धारा के तहत दंड (या) ग) किसी संरचना को हटाना या गिराना (या) घ) उसमें खड़ी फसल को नष्ट करना (या) ङ) पंजीकरण का निलंबन या रद्दीकरण (या) च) उपरोक्त सभी या किसी के साथ प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के आदेश से।	
नया खंड अपील	XI	मूल अधिनियम की धारा 14 के बाद निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्- "14 कः अपीलः (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश दिए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है। बशर्ते कि अपील प्राधिकारी तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद, लेकिन पूर्वोक्त तिथि से 90 दिनों की समाप्ति से पहले की गई किसी भी अपील पर, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था। विचार कर सकता है। (2) इस धारा के तहत किसी भी अपील पर अपील प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता ने अपील दायर करने के समय अपील किए गए आदेश के तहत देय दंड की राशि जमा नहीं की हो। बशर्ते कि इस संबंध में अपीलकर्ता द्वारा किए गए एक आवेदन पर, अपील प्राधिकारी की राय है ऐसी जमाराशि से या तो बिना शर्त या ऐसी शर्त के अधीन जो वह अधिरोपित करना उचित समझे लिखित रूप में आदेश द्वारा इस उप-धारा के तहत जमा की जाने वाली राशि से अपीलकर्ता को अनुचित कठिनाई होगी।	**धारा 14 'क' की प्रविष्टि**

		(3) उप-धारा (1) के तहत एक अपील प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे और संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उस आदेश की पुष्टि, संशोधन या रद्द कर सकता है जिसके खिलाफ अपील की गई और निर्णय अपीलीय प्राधिकारी अंतिम होगा, और क. यदि उप-धारा (2) के तहत जुर्माने के रूप में जमा की गई राशि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि से अधिक है; या ख. यदि अपील प्राधिकारी जुर्माना लगाने के आदेश को रद्द कर देता है, तो जुर्माना के रूप में जमा की गई पूरी राशि अपीलकर्ता को वापस कर दी जाएगी।	
विनियम बनाने के लिए प्राधिकरण की शक्ति	XII	मूल अधिनियम की धारा 25 में- उप-धारा (2) में खंड (घ) में अभिव्यक्ति "फॉर्मों" को "गतिविधियों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।	**धारा 25 का संधोधन**
1986 का 29 का सत्यापन	XIII	मूल अधिनियम की धारा 27 मेः- क) उप-धारा (1) में, "(xiv) इसमें कुछ भी शामिल नहीं है" शब्दों के बाद, "पैराग्राफ" शब्द के लिए "अधिसूचना" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। ख) उप-खंड (2) में- अभिव्यक्ति "फार्मों लुप्त हो जाएगा"	**धारा 27 का संशोधन**

***** समाप्त *****

तालिकाः धारा 14 के तहत दंड

क्र.सं.	तटीय जल कृषि गतिविधि	अपराध	दंड		
			पहली बार अपराध	दूसरी बार अपराध	तीसरी बार और अनुवर्ती अपराध
1.	फार्म	गैर पंजीकरण	10000/- रुपये प्रति हेक्टेयर (या एक हेक्टेयर का अंश) जल प्रसार क्षेत्र और संचयी जुर्माना 1 लाख रू. से अधिक नहीं।	15000/- रु. प्रति हेक्टेयर (या एक हेक्टेयर का अंश) जल प्रसार क्षेत्र और संचयी जुर्माना 1 लाख रु. से अधिक नहीं।	25000/- रु. प्रति हेक्टेयर (या एक हेक्टेयर का अंश) जल प्रसार क्षेत्र और संचयी जुर्माना 1 लाख रू. से अधिक नहीं।
		गैर- पंजीकरण के अलावा अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अनुपालन न करना।	5000/- रु. प्रति हेक्टेयर (या एक हेक्टेयर का अंश) जल प्रसार क्षेत्र और संचयी जुर्माना 1 लाख रू. से अधिक नहीं।	10000/- रुपये प्रति हेक्टेयर (या एक हेक्टेयर का अंश) जल प्रसार क्षेत्र और संचयी जुर्माना 1 लाख रू. से अधिक नहीं।	15000/- रु. प्रति हेक्टेयर (या एक हेक्टेयर का अंश) जल प्रसार क्षेत्र और संचयी जुर्माना 1 लाख रु. से अधिक नहीं।
2.	हैचरी, बीएमसी,एनबीसी जलकृषि इनपुट	गैर पंजीकरण	50000/- रु.	75000/- रु.	1 लाख रु.
		गैर- पंजीकरण के अलावा अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अनुपालन न करना।	25000/- रु.	50000/- रु.	1 लाख रू.